निर्णय बईजलास रामचरण शर्मा, आर.ए.एस.,न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़
प्रकरण सख्याः–38/18
दायरा 19.05.18

रामनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़
प्रार्थी.....

बनाम

1. शिजान मन्सूरी पुत्र श्री अब्दुल अजीज विक्रेता एवं मालिक मैसर्स गोलू किराना पनवाड़ तहसील खानपुर जिला झालावाड़
2. श्रीमती शिल्पा कटारिया पत्नी श्री नवीन कटारिया मालिक मैसर्स एन0के0ट्रेडर्स सीमेन्ट रोड़ बड़ा बाजार झालावाड़
3. दिलीप कुमार हेमनानी पुत्र श्री पारस राम हेमनानी 181 शोपिंग सेन्टर कोटा Rooppura New Grain Mandi, Ladpura Kota-324007
4. सुनील कुमार गुप्ता नोमिनी/डिप्टी मेनेजर क्वालिटी वी.आर.एस.फूड्स लि0 ए0बी0सी0–2 मालनपुर औद्यौगिक केन्द्र Ghirongi Malanpur Bhind (M.P.)- 477116

गैर सायलान.....

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(11)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

उपस्थित– 1– पेरोकार सरकार
2– श्री जितेन्द्र सिंह अभिभाषक गैरसायलान

–: आदेश :–

दिनांकः– 20.02.19

श्री रामनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं खाद्य विभाग की अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक /एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने कि लिए अधिकृत किया गया हूँ। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/पी.एफ.ए./नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधि0 झालावाड़ द्वारा आवंटित किया गया है और झालावाड़ जिलें के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन मे आगे वर्णित किया गया कि दिनांक 24.02.2018 को श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा दिये आदेशो की पालना में मय टीम के राजकीय वाहन से पनवाड़ बस जिला झालावाड़ पर पहुँचा मेरे द्वारा मैसर्स गोलू किराना स्टोर पनवाड़ में निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दोरान वहां पर उपस्थिति व्यक्ति को अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में देकर परिचय पत्र दियाया एवं उपस्थिति व्यक्ति के नाम पते, उक्त संस्थान का खाद्य प्रदार्थ अनुज्ञा पत्र दिखाने को कहा जिसमें स्वयं का नाम शिजान मूंसरी आ. अब्दुल हफीज मंसूरी बताया गया। मोके पर उक्त संस्थान पर खाद्य अनुज्ञा पत्र की छायाप्रति मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई। यह कि निरीक्षण के दोरान दुकान के फर्श पर घी पारस ब्राण्ड 500 एम.एल. गत्ता पेक के 16 पेकेटस् रखे हुऐ थे जो वास्ते बेचान बताये गये। जिसमें मिलावट का संदेह होने पर उक्त ब्राण्ड घी के चार मूल पेक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिनकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 880/– नकद भुगतान गवाहान के समक्ष विक्रेता को करके रसीद प्राप्त की। नमूना लेने की सूचना फार्म नम्बर 6 पर भरकर इस आ ाय का नोटिस दिया की मैं आपके खरीदे गये घी पारस ब्राण्ड की जांच करवाना चाहता हुँ। चारो नमूना भागो पर लेबर चिपकाये जिन पर नमूना कोड व सीरियल नम्बर वी–941 नमूना लेने की दिनांक व स्थान अंकित किया गया व सभी पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रति तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे शिजान मंसूरी आ. अब्दुल हजीज विक्रेता एवं मालिक गोलू किराना स्टोर बस स्टेण्ड जिला झालावाड़ बहसियत मालिक खाद्य पदार्थ घी पारस ब्राण्ड ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये, फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति विक्रेता शिजान मंसूरी आ. अब्दुल हजीज विक्रेता एवं मालिक गोलू किराना स्टोर बस स्टेण्ड जिला झालावाड बहसियत मालिक को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए इस्तगासे के साथ संलग्न है। खरीदशुदा खाद्य प्रदार्थ घी को चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की शिशियों में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में फोर्मलिन की 40–40 बूंद डालकर ढक्कन लगाकर एंयर टाईड बंद करके लेबल चिपकाये और लेबलो पर खाध पदार्थ का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक वी–941 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर दोनो किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक पेपर स्लिप नं. वी–941 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाह के

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

P.T.O.

हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं मैने हस्ताक्षर किये,फर्द रिपोर्ट की प्रति इस्तगासे के साथ संलग्न है। कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की 6 प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर एवं दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर श्री जगदीश प्रसाद मीणा सहायक कर्मचारी कार्यालय हाजा के द्वारा श्रीमान मुख्य खाद्य विशलेषक कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/56–59 दिनांक 27.03.18 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 232/एफ.एफ.एस.ए./ एक्ट/2018/272 दिनांक 22.03.18 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य प्रदार्थ घी रिपोर्ट में मिसब्राण्ड होना पाया गया है जिसकी सूचना गैर सायलान को अधिनियम की धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुनः जॉच करवाने हेतु दी गई, जिसके विरूद्व कोई अपील प्राप्त नही हुई, जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन मे यह भी कथन किया है कि अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी झालावाड द्वारा अपने पत्र कमांक एफएसएस/2018/103 दिनांक 06.06.2018 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। इसी के साथ निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में गैरसायलान ने खाद्य पदार्थ घी मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं नोटिस मे नियत दिनांक एवं समय पर अम्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। गैर सायलान की ओर से विद्वान वकील श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत कर जवाब पेश किया गया बहस उभय पक्ष सुनी गई विद्वान अभिभाषक गैर सायलान द्वारा अनुरोध किया गया कि खाद्य पदार्थ घी पर लेबलिंग नियमानुसार नही होने के कारण मिसब्राण्ड बताई गई,कम्पनी द्वारा लेबलिग में सुधार कर लिया गया है, जो बिल्कुल गंभीर विषय नही है फिर भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परेशान करने की नियत से प्रकरण तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा भी उनके पत्र दिनांक 14.07.2018 से इस प्रकार की लेबलिंग की त्रुटि को स्वास्थ्य के लिये हानिकारण नही माना गया है। अतः इस्तगासा खारिज फरमाया जाकर गैर सयलान को बरी किया जावे। बहस पेराकार सरकार सुनी गई आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्य की पुष्टि मे सलग्न किये गये दस्तावेजो की ओर ध्यान आकर्षित करते हुऐ कथन किया कि गैरसायलान द्वारा खाद्य पदार्थ घी मिसब्राण्ड का विक्रय किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट से साबित होता है। आवेदन किये जाने हेतु पदाभिहित अधिकारी से प्राप्त लिखित प्राधिकार भी आवेदन के साथ सलग्न किया गया है। गैर सायलान से अवमानक खाद्य पदार्थ घी मिसब्राण्ड के नमूने लिये जाने की कार्यवाही से सबधित दस्तावेज भी आवेदन के साथ सलग्न किये गये है। उक्त सभी दस्तावेजो से साबित होता है कि गैर सायलान द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ घी मिसब्राण्ड का भण्डारन एवं विक्रय किया गया है। अतः इस्तगासा स्वीकार फरमाया जाकर गैर सायलान को ज्यादा से ज्यादा जुर्माने से दण्डित किया जावे ताकि आम जनता को बेचान हो रहे मिथ्या छाप खाद्य पदार्थ पर अंकुश लग सके।

हमने पत्रावली एवं विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब का अधोपान्त अवलोकन किया, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टिया होती है, गैर सायलान द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ घी मिसब्राण्ड का विक्रय किया जाना सन्देह से परे साबित है। फूड एनालिस्ट की जॉच रिपोर्ट अनुसार गैर सायलान का यह कृत्य एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 3(1)(जेड.एफ.) (सी)(आई) के प्रावधानों के उल्लंघन की श्रेणी है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (पप) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में है, जिसके लिए जुर्माने का दण्ड अधिनियम की धारा 52 मे उपबन्धित किया गया है। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुऐ गैर सायल नं0 1 लगायत 3 (1.शिजान मंसूरी, 2.श्रीमति शिल्पा कटारिया, 3.दिलीप कुमार हेमनानी) प्रत्येक को 5000–5000 रूपये (अक्षरे पॉच–पॉच हजार रूपये) व गैर सायल नं0 4 सुनील कुमार गुप्ता को 10000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमानुसार उक्त राशि वसूली की कार्यवाही कर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.02.19 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

20/02/19

न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज0)